




# छावनी परिषद बरेली

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समस्त औपचारिकताओं के बाद छावनी परिषद ने सर्वसम्मति से सर्कुलर एजेंडा दिनांक 06.10.2020 के द्वारा प्रारंभिक रूप से छावनी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र (ODF+ Area) घोषित किया है । इस संबंध में छावनी परिषद आम जनता से दिनांक 03.11.2020 तक दावे एवं आपत्ति आमंत्रित करते हैं । इस हेतु प्रमाण सहित छावनी परिषद बरेली कार्यालय में दावे एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । निर्धारित अवधि के पश्चात इस संदर्भ में कोई भी दावा एवं आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।

पत्रांक संख्या-सीबीबी/सर्कुलर एजेंडा/एस.एस./ओडीएफ+/2020-21  
दिनांक 19 अक्टूबर 2020

  
(विवेक सिंह)

मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद बरेली छावनी

प्रतिलिपि:

1. संपादक अमर उजाला ।
  2. संपादक दैनिक जागरण ।
  4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर  
छावनी परिषद बरेली ।
- } कृपया उक्त सूचना डीएवीपी दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित सूचना सहित बिल 02 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।